

निदेशक का कार्यालय
पूर्वी मुद्रण वर्ग
14, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016 (प०ब०)
दूरभाष सं०: 033-22876950
फैक्स सं०: 033- 22834694
ई-मेल: epg.kol soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR
Eastern Printing Group,
14, Wood Street
Kolkata-700016 (W.B.)
Phone No. 033- 22876950
Fax No. 033- 22834694
E-mail: epg.kol soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 03 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 20-04-2018
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. 03 /37-G-15(EPGRO) DATED 20-04-2018

I. सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

श्री श्यामल बिकाश बिस्वास, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर को सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन)(ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पे-मैट्रिक्स, लेवल-7 में 28-03-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

Shri Shyamal Bikash Biswas, Senior Reprographer is hereby promoted to the post of Assistant Manager (Map Reproduction) as Group 'B' Officer on regular basis with effect from 28-03-2018 in the Pay-Matrix, Level-7.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।

He is required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on his promotion.

3. SC/ST समुदाय से संबंधित कार्मिक को अपना जाति प्रमाण-पत्र पुनः सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा और पुनःसत्यापन के पश्चात यदि पाया जाता है कि वे SC/ST समुदाय से सम्बन्धित नहीं है तो उन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

The person belonging to SC/ST is required to submit his/her caste certificate for reverification and after re-revification if it is found that he does not belong to SC/ST category, he will be reverted to his substantive post forthwith.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-1912/594 दिनांक 28-03-2018)

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए तथा वर्तमान में सहायक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल-7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री प्रदीप कुमार मण्डल (SC)	सहायक	26-02-2018

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Assistant (Promoted from L.D.C.) of this Directorate is granted third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-7 with effect from the date as mentioned against his name :-

Sl. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Prodip Kumar Mondal (SC)	Assistant	26-02-2018

उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial Upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Govt. Servant.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-19 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-19 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-1767/1902- एम०ए०सी०पी० (मिनिस्ट्रियल-III)दिनांक 26-03-18)

Contd..P/3.

III. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

सर्वश्री सजल कुमार घोष, एल०एम०पी० ग्रेड-II, तुषार भट्टाचारिया, एल०एम०पी० ग्रेड-II एवं सुजय कुमार साहा, एल०एम०पी० ग्रेड-II को सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल 6 में 09-04-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

S/shri Sajal Kumar Ghosh, L.M.P. Gde-II, Tushar Bhattacharyya, L.M.P. Gde-II and Sujay Kumar Saha, L.M.P. Gde-II are hereby promoted to the post of Senior Reprographer^{on} regular basis with effect from 09-04-2018 in the Pay-matrix Level-6.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।

They are required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on their promotion.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-744/972 दिनांक 13-02-2018 एवं सी-2133/972 दिनांक 09-04-2018)

IV. सरकारी सेवा में प्रतिधारण :-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारियों का, उनके 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर, जैसा कि प्रत्येक कर्मचारी के नाम के सामने दर्शाया गया है, सरकारी सेवा में रहना स्वीकार कर लिया है :-

1. श्री दीपेश दास, भण्डार कीपर ग्रेड-II - 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर
2. मो० अब्दुल सत्तार, खलासी - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

Retention in Govt. Service

The following Govt. Servants of this office are hereby allowed to be retained in Govt. service on attaining 55 years of age or on completion of 30 years of service on the recommendation of Special Review Committee conducted in Surveyor General's Office.

1. Shri Dipesh Das, Store Keeper Gde-II - On completion of 30 years of service
2. Md. Abdul Sattar, Khalasi - On attaining of 55 years age

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-1930/854-आर(पूर्वी मुद्रण वर्ग) दिनांक 28-03-2018)

V. **मानदेय की स्वीकृति /Grant of Honorarium :-**

निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2017 के दौरान विशेष रूप में श्रम माध्य/सराहनीय कार्य के निष्पादन के सम्मान में एफ०आर० 46(बी) के अधीन प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाया गया सम्मान/मानदेय प्रदान किया गया :-

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	मानदेय राशि (रुपया)
1.	श्री सुशान्त धर राय, कर्मशाला प्रबन्धक	रु० 2500/-
2.	श्री रोबर्ट टिकी, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	रु० 2500/-
3.	श्री यादव कुमार मुखपाध्याय, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	रु० 2500/-
4.	श्री नागेश्वर गोप, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	रु० 2500/-
5.	श्री सत्य चरण नस्कर, सहायक	रु० 2500/-
6.	श्री तुषार भट्टाचार्जी, एल०एम०पी० ग्रेड-II	रु० 2500/-
7.	श्री दीपेश दास, भण्डार कीपर ग्रेड-II	रु० 2500/-
8.	श्री एस०एस० साबुई, प्रवर श्रेणी लिपिक	रु० 2500/-
9.	श्री राम देव पाण्डेय, तकनीकी श्रमिक (एस०/एस०)	रु० 2500/-
10.	श्री गुजेश्वर सिंह, खलासी	रु० 2500/-
11.	मह० अब्दुल सत्तार, खलासी	रु० 2500/-

The following Officers and Staff have been granted honorarium for the year 2017 under F.R. 46(B) for their special arduous/meritorious nature of work as shown against each name :-

Sl. No.	Name and Designation	Amount of honorarium
1.	Shri Sushanta Dhar Roy, Works Manager	Rs. 2500/-
2.	Shri Robert Tirkey, Senior Reprographer	Rs. 2500/-
3.	Shri Jadav Kumar Kukhopadhya, Senior Reprographer	Rs. 2500/-
4.	Ahri Nageswar Gop, Senior Reprographer	Rs. 2500/-
5.	Shri Satya Charan Naskar, Assistant	Rs. 2500/-
6.	Shri Tushar Bhattacharyya, L.M.P. Gde-II	Rs. 2500/-
7.	Shri Dipesh Das, Store Keeper Gde-II	Rs. 2500/-
8.	Shri S.S. Sabui, U.D.C.	Rs. 2500/-
9.	Shri Ram Deo Pandey, T/L(S/S)	Rs. 2500/-
10.	Shri Gujeshwar Singh, Khalasi	Rs. 2500/-
11.	Md. Abdul Sattar, Khalasi	Rs. 2500/-

The extra expenditure involved will be met from with the sanctioned grant of this office for year 2018-19 and debited to the appropriate Head of Account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय जापन सं०स्था०1-2398/1316(2017-2018) दिनांक 12-04-2018)

Contd...P/5.

VI. सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्रम सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री स्वपन कुमार मित्र	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	31-03-2018
2.	श्री गोपीनाथ साहा	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	31-03-2018

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Swapan Kumar Mitra	Senior Reprographer	31-03-2018
2.	Shri Gopinath Saha	Senior Reprographer	31-03-2018

अरिन कुं इती

(अरिन कुमार दत्ता)

प्रबन्धक (कनिष्ठ)

निदेशक (सामयिक कार्यभार)

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल (admnsoi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवही हेतु ।
6. गार्ड फाईल /फाईल : 4-F-12 / 11-J-3(RC) /18-D(Conf) संबंधित कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।

ई-मेल द्वारा

22/03/2018 के तहत विकल्प उद्योग

It is required to exercise an option under Rule 56(1)(a) for fixation of pay on the promotion.

1. SCRT समुदाय से संबंधित मामलों को जल्द जल्द समाप्त कर देना है। प्रत्येक मामले में और मुमकिन हो तो जल्द से जल्द जता है कि वे SCRT समुदाय के अंतर्गत नहीं हैं।

The person belonging to SCRT is required to submit his/her caste certificate for re-verification and other re-verification if it is found that he does not belong to SCRT category, he will be reverted to his substantive post forthwith.

2. इस कार्य में हुई जर्नाल चार्ज इस विभाग में है जिस पर 2018-2019 के लिए सर्वोच्च पत्र संख्या नं. 2000 दिनांक 20/03/2018 के तहत जता है।

The extra expenditure incurred will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.